सामाजिक विज्ञान

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-2

कक्षा 7 के लिए पाठ्यपुस्तक

0765

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण
अप्रैल 2007 वैशाख 1929

पुनर्मुद्रण
फरवरी 2008 माघ 1929
दिसंबर 2008 पौष 1930
जनवरी 2010 माघ 1931
जनवरी 2011 पौष 1932
जनवरी 2012 माघ 1933
नवंबर 2013 कार्तिक 1935
दिसंबर 2014 पौष 1936
जनवरी 2016 पौष 1937
जनवरी 2017 माघ 1938
दिसंबर 2017 पौष 1939
जनवरी 2019 माघ 1940

PD 75T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2007

₹ 60.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, प्लाट नं.-1, सैयद नगर, चावड का मढ, नाई की थड़ी, जयपुर-302 027

ISBN 81-7450-733-7

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन सी ई आर टी के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 — फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 — फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 — फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 — फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781021 — फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	*एम. सिराज अनवर*
मुख्य संपादक	:	*श्वेता उप्पल*
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	*गौतम गांगुली*
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	*अरुण चितकारा*
सहायक संपादक	:	*शशि चड्डा*
उत्पादन सहायक	:	*प्रकाश वीर सिंह*

आवरण, सज्जा
ओरिजीत सेन, स्प्लैश कम्युनिकेशंस के साथ

चित्र
ओरिजीत सेन

© NCERT not to be republished

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक कैलेण्डर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत व बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक विकास समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्, सामाजिक विज्ञान सलाहकार समूह के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन, पाठ्यपुस्तक समिति की मुख्य सलाहकार शारदा बालगोपालन और सलाहकार अरविंद सरदाना की विशेष आभारी हैं। इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें

© NCERT not to be republished

उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों व सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान

और प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली

20 नवंबर 2006

© NCERT
not to be republished

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, *प्रोफ़ेसर,* इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

मुख्य सलाहकार

शारदा बालगोपालन, विकासशील समाज अध्ययन पीठ, दिल्ली

सलाहकार

अरविंद सरदाना, एकलव्य – शैक्षिक शोध एवं नवाचार संस्थान, मध्य प्रदेश

सदस्य

अंजलि नरोना, एकलव्य – शैक्षिक शोध एवं नवाचार संस्थान, मध्य प्रदेश

दिप्ता भोग, निरंतर – जेंडर एवं शिक्षा संदर्भ समूह, सर्वोदय इन्क्लेव, नयी दिल्ली

कृष्णा मेनन, *रीडर,* लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

लतिका गुप्ता, *सलाहकार,* प्रा.शि.वि., राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली

एम.वी. श्रीनिवासन, *प्रवक्ता,* सा.वि.मा.शि.वि., राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली

मालिनी घोष, निरंतर – जेंडर एवं शिक्षा संदर्भ समूह, सर्वोदय इन्क्लेव, नयी दिल्ली

मेरी ई. जॉन, *निदेशक,* सेंटर फॉर वीमेन्स डेवलेपमेंट स्टडीज, नयी दिल्ली

एन.बी. सरोजनी, सामा–रिसर्च ग्रुप फॉर वीमेन एंड हेल्थ, नयी दिल्ली

रंगन चक्रवर्ती, ए 4/7, गोल्फ ग्रीन अर्बन कॉम्प्लेक्स, फेस I, कोलकाता

सुकन्या बोस, एकलव्य *रिसर्च फेलो,* 66 एफ, सेक्टर 8, जसोला विहार, नयी दिल्ली

हिंदी अनुवाद

उषा चौधरी, *प्रवक्ता,* शिक्षा विभाग, डी.ए.वी. महाविद्यालय, भोपाल

विवेक श्रीवास्तव, *हिंदी प्रवक्ता* (तदर्थ), क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (रा.शै.अ.प्र.प.), श्यामला हिल्स, भोपाल

सदस्य-समन्वयक

मल्ला वी.एस.वी. प्रसाद, *प्रवक्ता,* सा.वि.मा.शि.वि., राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

आभार

इस किताब को कई संस्थाओं और व्यक्तियों से बहुत लाभ हुआ है। इनमें पूनम बत्रा, पियू दत्त, एस. मोहिन्दर एवं आदित्य निगम शामिल हैं जिन्होंने कई पाठ पढ़े और अपने सुझाव दिए। इसके अलावा राजीव भार्गव, कौशिक घोष, अनु गुप्ता, सुनील और ए. वी. रमानी ने विचारों पर चर्चा की और विशिष्ट पाठों पर सुझाव दिए। वी. गीता ने बड़ी सहृदयता से सारे पाठ पढ़े और उनके विस्तृत सुझावों से पुस्तक को बहुत फ़ायदा हुआ। अंजलि मांटीइरो और एस. शंकर ने विभिन्न चरणों पर मीडिया के बारे में अपने विचार रखे जिनसे उन पाठों की सार्थकता बढ़ाने में मदद मिली।

टुलटुल विश्वास ने आखिरी पाठ के लिए उपयुक्त कविता ढूँढ़ने में मदद की और विनय महाजन ने उसे पाठ में शामिल करने की आज्ञा दी। संचिरा विश्वास और दिप्ता भोग ने कविता का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया और रविकांत ने उस अनुवाद को अंतिम रूप दिया। स्मृति वोहरा ने भी बिल्कुल अंतिम क्षणों में संपादन का कार्य किया। हालाँकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम था फिर भी उन्होंने बहुत ही सावधानी से संपादन किया। एलेक्स जार्ज ने भी छठी की पुस्तक की तरह अपने विचार और नज़रिया बाँट कर महत्त्वपूर्ण मदद की। उर्वशी बुटालिया अब भी हमारे साथ हैं और बहुत ही दिलेरी से उन्होंने समय लगा कर संपादन का काम किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके ध्यानपूर्वक किए गए पठन से पुस्तक को फ़ायदा हो। हम *ज़ुबान* के आभारी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी किताब *पोस्टर वीमेन: अ विज्युअल हिस्ट्री ऑफ द वीमेन्स मूवमेंट इन इंडिया* के चित्र इस्तेमाल करने की आज्ञा दी। हम *दीवार* फिल्म के चित्र के लिए त्रिमूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के भी आभारी हैं। पृष्ठ 63 पर दिए गए चित्र को पार्टनर्स फॉर लॉ एंड डेवलपमेंट ने दिया। गाज़ियाबाद के केंद्रीय विद्यालय-II, हिन्डन की कक्षा VI बी के विद्यार्थियों, अध्यापिकाओं और प्रधानाचार्य ने वॉलपेपर और कोलाज पर काम करना सहर्ष स्वीकार किया और उनको तसवीरों के साथ किताब में इस्तेमाल करने की आज्ञा दी। हम उत्तरी रेलवे के गीतांजली, *वरिष्ठ पी.आर.ओ.* के भी आभारी हैं, जिन्होंने अपने सार्वजनिक विज्ञापन इस्तेमाल करने की आज्ञा दी। हम सतत विकास लक्ष्यों के बारे में सामग्री के लिए यूएनडीपी इंडिया को भी धन्यवाद देते हैं। सराय के एम. कुरैशी ने भी ज़रूरत पड़ने पर हमेशा मदद की और हम उनके आभारी हैं।

इस पुस्तक में जो तसवीरें इस्तेमाल की गई हैं वे विभिन्न स्रोतों से ली गई हैं और उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं का हम तहेदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरनमेंट ने बहुत सारी तसवीरें दीं और अमित शंकर और अनिल ने बहुत समय भी दिया। बहुत ही कम समय में *आउटलुक* पत्रिका ने भी कई सारी तसवीरें दीं। शीबा चाची ने भी 'महिला आंदोलन' वाले लेख के लिए अपनी तसवीरें दीं। सलिल चतुर्वेदी एवं शाहिद दातावाला ने अपने संग्रह में से उपयुक्त तसवीरें दीं। महेश बसादिया ने तवा मत्स्य संघ की तसवीरें दीं और महिला बाल-विकास विभाग, देवास ने आंगनवाड़ी की तसवीरें दीं। हर्ष मन राय एवं बाजी राव पवार ने भी तसवीरें दीं और नयी खींचने में मदद की। एम.वी. श्रीनिवासन ने ईरोड से तसवीरें मँगवाने में मदद की। हम *नवदान्या* को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य के कोलाज के लिए कुछ तसवीरें दीं। शारदा बालगोपालन द्वारा ली गईं कुछ तसवीरें भी इस किताब में इस्तेमाल हुई हैं।

जिस रुचि और धीरज से ओरिजीत सेन और सलिल चतुर्वेदी ने इस पुस्तक के चित्रकार और डिज़ाइनर के रूप में काम किया, उसकी गुणवत्ता हर एक पृष्ठ पर दिखती है। हम उनके आभारी हैं।

हिंदी अनुवाद में एकलव्य ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उषा चौधरी और विवेक श्रीवास्तव ने बहुत ही धैर्यपूर्वक पाठों का अनुवाद किया। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। हम रश्मि पालीवाल और टुलटुल विश्वास के भी आभारी हैं जिनकी मदद से अनुवाद का कार्य संपन्न हुआ।

हम ए.बी. सक्सेना, *प्रोफ़ेसर* एवं *प्रिंसिपल*, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (रा.शै.अ.प्र.प.), भोपाल के सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

कई संस्थाओं ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने न केवल समझा कि हम इस किताब के कार्य में व्यस्त थे, बल्कि किताब के काम में बढ़-चढ़कर सहयोग दिया। विकासशील समाज अध्ययन पीठ, एकलव्य, निरंतर, सेंटर फॉर वीमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज एवं सामा ने भी सहयोग दिया है।

इस किताब के निर्माण के विभिन्न चरणों में सहयोग के लिए हम उत्तम कुमार, *डी.टी.पी. ऑपरेटर*, अंजना बख्शी, *कॉपी एडिटर* और शशि देवी, *प्रूफ रीडर* के विशेष आभारी हैं। प्रकाशन विभाग द्वारा हमें पूर्ण सहयोग एवं सुविधाएँ प्राप्त हुईं, इसके लिए हम आभारी हैं।

© NCERT not to be republished

शिक्षकों के लिए एक भूमिका

'नागरिक शास्त्र' और 'सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन' एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। उनमें पाए जाने वाले मुद्दों में अंतर है और उनके लिए ज़रूरी शिक्षण के तरीकों में भी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह भूमिका 'सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन' के कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास करेगी।

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्या है?

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन माध्यमिक शाला स्तर पर समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम में पुराने चले आ रहे विषय, नागरिक शास्त्र की जगह लेने वाला एक नया विषय है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह ज़ोर देकर कहा गया है कि नागरिक शास्त्र को छोड़ देना ज़रूरी है और उसकी जगह लेने वाले नए विषय में सरकारी संस्थाओं और उनके कार्यों को दिए जाने वाले महत्त्व को संतुलित किया जाना चाहिए। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है; इस विषय में आज के भारत के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन के मुद्दों को केंद्र में रखा जाएगा।

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शिक्षण-पद्धति क्या है?

जीवन की वास्तविक स्थितियों का उपयोग इस विषय को पूर्व के नागरिक शास्त्र विषय से एक अलग पहचान देता है। अवधारणाओं के शिक्षण में वास्तविक जीवन की स्थितियों का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यह समझा गया है कि बच्चे ठोस अनुभवों के आधार पर सबसे बेहतर सीखते हैं। माध्यमिक शाला के बच्चे कक्षा में कई पारिवारिक व सामाजिक मामलों के जो अनुभव और विचार लेकर आते हैं उनसे निकलने वाली सामग्री का इस विषय के शिक्षण में उपयोग किया गया है। भारत के संविधान के मूल्यों के अनुरूप इन मुद्दों की तार्किक समझ बनाने व इनका विश्लेषण करने की बच्चों की क्षमता का विकास करना भी 'सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन' का लक्ष्य है।

शिक्षण की इस पद्धति में अवधारणाओं को बाँधने के लिए परिभाषाओं का उपयोग करने से बचा गया है। इसकी बजाय वृत्तांतों और समस्या-अध्ययनों (केस-स्टडीज़) का उपयोग अवधारणाओं को समझाने के लिए किया गया है। इन वृत्तांतों में ही अंतर्निहित अवधारणाओं को और स्पष्ट करने के लिए पाठ के बीच के व पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न काम आते हैं। लक्ष्य यह है कि सीखने वाले अपने स्वयं के अनुभवों से अवधारणाओं को समझें और उनके बारे में अपने ही शब्दों में लिखें।

इस किताब में इस्तेमाल किए गए कथानकों में शहरी और ग्रामीण, दोनों उदाहरण हैं।

बहुधा इसका अर्थ यह निकलता है कि पूछे गए प्रश्नों का कोई एक ही 'सही' जवाब नहीं हो सकेगा। बहरहाल कोई जवाब गलत जरूर हो सकता है। यह शिक्षकों को आँकना है कि किसी प्रश्न के जवाब में कही गई कोई बात किस हद तक पाठ की अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ को प्रदर्शित करती है।

हम जानते हैं कि बच्चे अपनी समझ और अपने मन में बनने वाली अवधारणाओं को आसपास की वास्तविकताओं पर लागू करते हुए ही सबसे बेहतर सीखते हैं। तब क्या यह संभव है कि एक 'राष्ट्रीय' स्तर की पाठ्यपुस्तक हमारी भिन्न-भिन्न स्थानीय स्थितियों को, जिनसे मिलकर हमारा 'राष्ट्र' बनता है, ठीक ढंग से जगह दे पाए?

यह पुस्तक शिक्षण के इस सिद्धांत पर तैयार की गई है कि बच्चे अपने अनुभवों से, अपनी सोच से अवधारणाओं को सबसे अच्छी तरह सीख सकते हैं। इससे एक विसंगति यह पैदा हो जाती है कि राष्ट्र स्तर पर लिखे गए पाठ, न तो भिन्न-भिन्न स्थानीय

© NCERT not to be republished

राजनीतिक और सामाजिक जीवन की विषय-वस्तु में कई समुदायों का विशेष रूप से नाम लिया गया है। जैसे-दलित, मुसलमान, गरीब, आदि। यह किताब शिक्षकों पर भरोसा करती है कि वे पाठ पढ़ाते वक्त सभी विद्यार्थियों की गरिमा का ध्यान रखेंगे और उनकी इज्ज़त करेंगे।

स्थितियों के विभिन्न पहलुओं को प्रतिनिधित्व दे सकते हैं और न ही वे यह मान कर लिखे जा सकते हैं कि वे एक खास सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को संबोधित कर रहे हैं। इसलिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में प्रस्तुत किए गए उदाहरण व वृत्तांत, ग्रामीण और नगरीय स्थितियों का मिश्रण हैं। जिनमें सीखने वाले व्यक्ति की कोई स्पष्ट छवि नहीं बनती।

कक्षा में अध्यायों को पढ़ाने की महत्त्वपूर्ण क्रिया के अलावा यह विषय शिक्षकों से और कौन-सी ज़रूरी भूमिका निभाने की उम्मीद रखता है?

यह विषय कई कारणों से कक्षा में शिक्षकों से एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका की अपेक्षा रखता है। सर्वप्रथम इस पुस्तक के अध्याय कई विशिष्ट समुदायों का उल्लेख करते हुए (जैसे-दलित, मुस्लिम, गरीब, आदि) विभिन्न मुद्दों की चर्चा करते हैं और इसके कारण कक्षा में असहज वातावरण बन सकता है- खासकर तब, जब वहाँ अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक और (संभवतः) आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे मौजूद हों। हम यह अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक संवदेनशीलता के साथ और प्रत्येक बच्चे की गरिमा का आदर करने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस सामग्री पर कक्षा में शिक्षण कार्य करवाने की बेहद ज़रूरी भूमिका का निर्वाह करेंगे। दूसरी अपेक्षा यह है कि चूँकि यह 'राष्ट्रस्तरीय' पुस्तक स्थानीय संदर्भों के साथ एक सीमित तौर पर ही जुड़ सकती है, शिक्षक अवधारणाओं की चर्चा में स्थानीय उदाहरणों को लाने का प्रयास इस तरह करेंगे कि प्रत्येक अवधारणा से वह तर्क और वह समझ पुष्ट हो सके, जो पुस्तक लिखने में लेखकों का उद्देश्य थी।

यह विषय संविधान में मान्य मूल्यों को आत्मसात् करने में किस तरह मदद करता है?

पहली नज़र में किसी को यह आभास हो सकता है कि इस पुस्तक में 'वास्तविक' स्थितियों की चर्चा करने से संविधान के मूल्यों व आदर्शों को सिखाने के उद्देश्य के साथ एक विरोधाभास पैदा हो जाता है। बहरहाल हमने इसे एक तकनीक के रूप में इसलिए अपनाया है, क्योंकि नागरिक शास्त्र की अभी तक प्रचलित पुस्तकों की समीक्षा ने यह बात उभारी है कि वे संविधान के आदर्शों का ही 'शिक्षण' देती थीं और उन वास्तविकताओं को बहुत कम जगह देती थीं, जो इन आदर्शों से बहुत भिन्न थीं। चूँकि सीखने वाले बच्चे इन वास्तविकताओं से अपने जीवन में बहुत वाकिफ़ हो चुके होते हैं, इन्हें अनदेखा करने से सामाजिक एवं राजनीतिक अवधारणाओं का शिक्षण बहुत उपदेशात्मक और असंबंधित-सा हो जाएगा। इसकी बजाय, यह नया विषय लोगों के अनुभवों में निहित चेतना का उपयोग करके सीखने वालों को संविधाान के मान्य मूल्यों की वैधता को और उनकी गंभीर ज़रूरत को महसूस करने और समझने में मदद करता है। साथ ही विषय की यह शिक्षण पद्धति बच्चों को इन मूल्यों को व्यवहार में लाने के लिए लोगों के संघर्षों की भूमिका समझने का अवसर भी देती है।

सातवीं कक्षा की पुस्तक में कौन-से मुद्दे लिए गए हैं?

'भारतीय लोकतंत्र में समानता' की निहायत ज़रूरी भूमिका को समझना ही कक्षा सात की किताब का मूल सूत्र है। यह सूत्र किताब की एक इकाई की विषय-वस्तु भी है। इसके अलावा किताब में चार और इकाइयाँ हैं-राज्य शासन; जेंडर; संचार माध्यम; तथा बाज़ार। इकाई 2, 3 और 5 में दो पाठ क्रम

© NCERT not to be republished

से आते हैं किंतु पहली इकाई में पाठ एक शुरू में और एक, किताब के अंतिम पाठ के रूप में रखे गए हैं।

सातवीं कक्षा की किताब चुने हुए मुद्‌दों को प्रस्तुत करने के क्या तरीके अपनाती है?

- **चित्रकथा-पट्टः** पिछले साल की किताब पर प्राप्त सुझावों में से एक यह था कि शिक्षकों को अध्याय के कहानी-नुमा अंशों को अलग से पहचानने में मदद की ज़रूरत है और उनमें निहित केंद्रीय अवधारणाओं को चिह्नित करने में भी कठिनाई होती है। इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए इस साल की किताब में अध्यायों के कहानी-नुमा हिस्सों को स्पष्ट करने के लिए चित्रकथा-पट्टों का इस्तेमाल किया गया है। इससे यह लाभ भी मिलता है कि बच्चे चित्रों की जीवंत प्रस्तुति के सहारे विषय-वस्तु के साथ ज़्यादा गहराई के साथ जुड़ पाते हैं। कथा-पट्ट में उठाए गए मुद्‌दों का विश्लेषण साथ आने वाले पाठ्यांशों में किया जाता है।
- **शिक्षकों के लिए पन्नाः** प्रत्येक इकाई शिक्षकों के लिए लिखे गए एक पन्ने से शुरू होती है। इसमें आने वाले अध्यायों की मुख्य बातों को रखा गया है।
- **मूल्यांकन पर एक आलेखः** कक्षा-6 की किताब में परिभाषाएँ या अवधारणाओं का सार-संक्षेप दिया गया था। वह इस साल की किताब में नहीं दिया जा रहा है। इससे बच्चों के सीखने का मूल्यांकन करने में शिक्षकों को कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है, पर हम चाहते हैं कि बच्चों से क्या सीखने की अपेक्षा की जाए और इस सीखने का मूल्यांकन कैसे किया जाए, इन सवालों पर शिक्षक कुछ हट कर सोचें। इस भूमिका के अंत में मूल्यांकन की पद्धतियों पर एक संक्षिप्त आलेख है। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी मदद से शिक्षक बच्चों को रटंत विद्या से अलग करने का प्रयास कर पाएँगे।
- **शब्द-संकलनः** हर अध्याय में एक छोटे शब्द-संकलन को जोड़ा गया है ताकि पाठ में उपयोग की गई भाषा को लेकर स्पष्टता बन सके। इस संकलन में सिर्फ अवधारणाएँ शामिल नहीं की गई हैं और इनके शब्दों के अर्थों को यह सोच कर कंठस्थ कतई नहीं कराना चाहिए कि इससे अवधारणाओं की समझ बेहतर बनेगी।
- **बीच के और अंत के प्रश्नः** छठी कक्षा की किताब की तरह सातवीं कक्षा की किताब में भी अध्यायों के बीच-बीच में व अंत में प्रश्न दिए गए हैं जिनमें चित्रों, कथाओं व अनुभवों की विषय-वस्तु को आधार बनाया गया है। अध्याय के बीच में आने वाले प्रश्नों का उपयोग करते हुए शिक्षक यह आकलन भी कर सकते हैं कि बच्चों ने विषय-वस्तु को किस रूप में ग्रहण किया है। अध्याय के अंत के प्रश्न आमतौर पर अध्याय की मुख्य अवधारणाओं पर आधारित हैं और बच्चों से इन अवधारणाओं को अपने शब्दों में समझा पाने की माँग करते हैं।

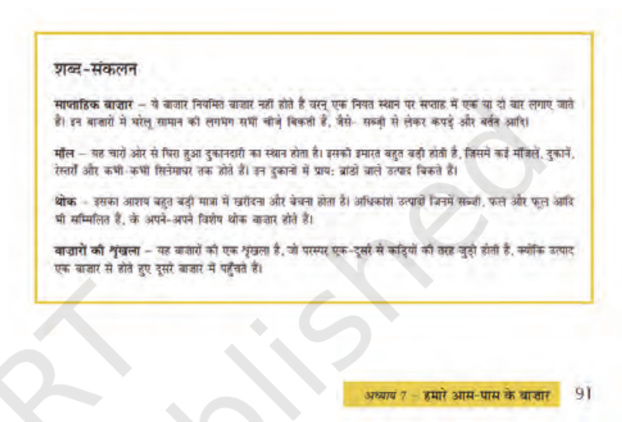
शब्द-संकलन

साप्ताहिक बाज़ार – ये बाज़ार नियमित बाज़ार नहीं होते हैं वरन् एक नियत स्थान पर सप्ताह में एक या दो बार लगाए जाते हैं। इन बाज़ारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती हैं, जैसे- सब्ज़ी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि।

मॉल – यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंज़िलें, दुकानें, रेस्तराँ और कभी-कभी सिनेमाघर तक होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांडो वाले उत्पाद बिकते हैं।

थोक – इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्ज़ी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, के अपने-अपने विशेष थोक बाज़ार होते हैं।

बाज़ारों की शृंखला – यह बाज़ारों की एक शृंखला है, जो परस्पर एक-दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाज़ार से होते हुए दूसरे बाज़ार में पहुँचते हैं।

अध्याय 7 – हमारे आस-पास के बाज़ार 91

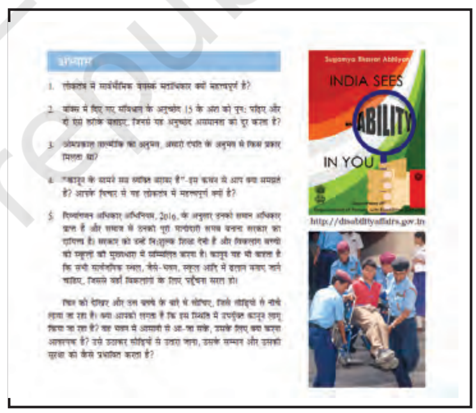

मूल्यांकन में शिक्षकों की मदद के लिए कुछ विचार

जो सीखा गया है उसके मूल्यांकन के तरीकों के बारे में नए सिरे से विचार करना एक खासा मुश्किल काम होता है पर इस नए विषय को इसकी सख्त ज़रूरत है। समय के साथ मूल्यांकन की यह परिपाटी बन चुकी है कि अच्छे से रट पाने वाले छात्रों और छात्राओं को अधिक सफल बनाया जाए। इसके परिणामस्वरूप स्वत: ही शिक्षक पाठ में दिए प्रश्नों के उत्तरों को रेखाएँ लगवा कर चिह्नित कराने लगे हैं और एक दुष्चक्र चल निकला है जो आज तक जारी है। आज ज़रूरत है कि सीखने वालों और सिखाने वालों को इस बोझ से मुक्ति दी जाए और इस दुष्चक्र को किसी तरह तोड़ा जाए। इस परिवर्तन में शिक्षक एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे और इस आलेख से उन्हें मदद मिलेगी, ऐसी आशा है।

प्रश्नों पर

शिक्षकों को शुरूआत इस बात से करनी चाहिए कि मूल्यांकन के लिए नए प्रश्नों का उपयोग किया जाए। ये नए प्रश्न अध्याय में दिए गए प्रश्नों से मिलते-जुलते होंगे। पर छात्रों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। ऐसा करने के लिए छात्र-छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ाना होगा अत: भाषाई शुद्धता आदि को लेकर टीका-टिप्पणी संतुलित और सकारात्मक तरीके से करनी होगी।

शिक्षकों को कई तरह की योग्यताओं का आकलन करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्न विकसित करने होंगे। स्मृति के सहारे तथ्यों को दोहराने की माँग करने वाले प्रश्न कम से कम रखे जाने चाहिए। इनकी एवज में, ऐसे प्रश्न अधिक होने चाहिए जो हर अध्याय के मुख्य अवधारणात्मक विचारों से संबंधित हों। कुछ प्रश्न ऐसे हों जो तर्क करने, अनुभवों के बीच समानता व अंतर पहचानने, निष्कर्ष निकालने और अनुमान लगाने की क्षमताओं को उभारें।

इन सुझावों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

© NCERT not to be republished

तर्क करने की क्षमता

निम्नलिखित प्रश्न यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अध्याय की अवधारणाओं को किस हद तक समझा है। और उसमें निहित विचारों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने व उन्हें नए संदर्भों में लागू करने में वह किस तरह सक्षम है जैसे:

'कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं' इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण क्यों है?

मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए?

क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है?

आपको क्या लगता है आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आता है? पता लगाइए और कुछ उदाहरणों से समझाइए।

अनुभवों के बीच समानता व अंतर पहचानना

ऐसे प्रश्न बनाए जाने चाहिए जो सीखने वालों को ठोस स्थितियों और उदाहरणों की तुलना करते हुए अंतर व समानता स्पष्ट करने के मौके दें। ऐसे प्रश्न अकसर बच्चे के अपने अनुभवों की तुलना करने की माँग भी करते हैं। इस तरह के प्रश्नों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है?

आपके बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न हैं? इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे?

गार्मेंट फैक्टरी के मज़दूर, गार्मेंट के निर्यातक और विदेशी बाज़ार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज़ पर कितना पैसा कमाया? तुलना करके पता लगाइए।

आपको, अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या-क्या अंतर देखने को मिलते हैं? नीचे दी गई तालिका को भरते हुए इनकी तुलना कीजिए और अंतर बताइए।

सुविधा	सेवाओं का मूल्य	सेवाओं की उपलब्धता
निजी		
सार्वजनिक		

© NCERT not to be republished

किसी स्थिति के विवरण से निष्कर्ष निकालना व अनुमान लगाना

इस तरह के प्रश्न 'सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन' के लिए विशेष महत्त्व रखते हैं क्योंकि इस विषय में कथानकों और वृत्तांतों का बड़े स्तर पर उपयोग हुआ है और बच्चे के ठोस अनुभवों का हवाला भी बार-बार दिया गया है। यही प्रश्न हैं जो वृत्तांतों को उनमें निहित अवधारणात्मक विचारों से जोड़ते हैं। प्रश्नों की मदद से हम आँक सकते हैं कि सीखने वालों ने किस तरह वृत्तांतों को समझा है और वे संबंधित अवधारणाओं को कैसे स्पष्ट कर पाते हैं।

आपके विचार से ओमप्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था? अपने आपको ओमप्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए चार पंक्तियाँ लिखिए कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते?

क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की माँ काम नहीं करतीं?

भारत में प्राय: यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएँ नहीं हैं। ऊपर दिए गए बाएँ हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए।

यह विज्ञापन हमें इस ब्रांड का सामान खरीदने पर क्या अनुभव कराना चाहता है? यह विज्ञापन किन लोगों से बात कर रहा है और किन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा?

दृश्य-सामग्री की व्याख्या करना

इसी तरह छात्र-छात्राओं के सामने दृश्य सामग्री का अध्ययन करने व उसकी व्याख्या करने के भी अवसर होने चाहिए। चित्रों, तालिकाओं, रेखाचित्रों आदि पर आधारित प्रश्न उनसे पूछे जाने चाहिए।

(1) चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए, जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता का कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन में आसानी से आ-जा सके, उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना, उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है?

(2) क्या आप इस रेखाचित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं? इस रेखाचित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ पा रहे हैं?

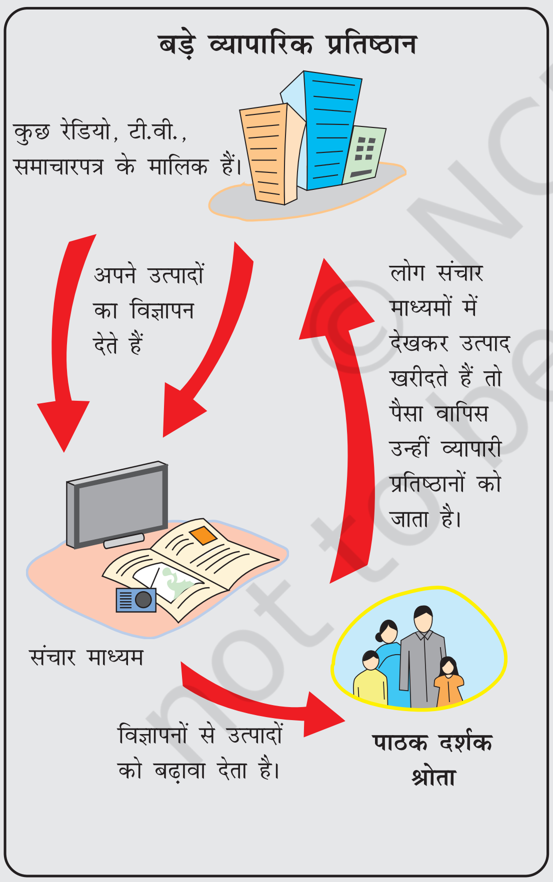

(3) नीचे दी गई कमीज़ के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवसायी को कितना मुनाफ़ा हुआ और उसको कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज़ का लागत मूल्य 600 रु. है, तो इस चित्र से जानिए कि इस कमीज़ की कीमत में क्या-क्या शामिल होता है?

© NCERT not to be republished

उत्तरों को समझना

चूँकि विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने शब्दों में उत्तर लिखेंगे, शिक्षकों को एक प्रकार के ही 'सही' माने गए उत्तरों की अपेक्षा करना छोड़ना होगा। हमें मूल्यांकन यह करना होगा कि सीखने वालों ने किस तरह अवधारणाओं को समझा है, उसके आधार पर वे कैसे तर्क करते हैं और अपने मन में बनने वाले विचारों को किस तरह अभिव्यक्त करते हैं। जब सीखने वालों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे किसी वृत्तांत में प्रस्तुत की गई स्थिति को समझें और उसमें निहित अवधारणा का अपने विश्लेषण में उपयोग करें, तो स्वाभाविक रूप से यही अपेक्षा होगी कि उनकी तरफ़ से आने वाले कई अलग-अलग उत्तरों को किसी सीमा तक सही उत्तरों के रूप में स्वीकार किया जाए।

अत: यह निहायत जरूरी बन जाता है कि शिक्षक मिलकर सामूहिक रूप से मूल्यांकन के लिए कुछ समान निर्देश तैयार करें ताकि वे सभी एक से आधारों पर तय कर सकें कि किस प्रकार के उत्तर सही उत्तरों के दायरे में आते हैं और कौन-से उत्तर गलत माने जाएँगे। यहाँ हम कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसी प्रश्न के जवाब में सही जवाबों के दायरे से क्या आशय है और गलत उत्तर किसे कहा जा सकता है।

यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते, तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते?

सही उत्तरों का एक दायरा

"अगर मैं अंसारी परिवार से होती तो मैं तय करती कि मैं अपना नाम कतई नहीं बदलूँगी क्योंकि इससे मेरी गरिमा और आत्मसम्मान को चोट पहुँचती।"	यह एक संक्षिप्त स्पष्ट उत्तर है और इंगित करता है कि बच्ची ने बात समझी है और अपने विचार अभिव्यक्त कर सकती है।
"मैं अंसारी होता तो अपना नाम नहीं बदलता क्योंकि हमारे परिवार का कई पीढ़ियो से यही नाम रहा है और अगर मुझे यह कहना पड़ता कि मैं कोई और हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता।"	यह बच्चा अध्याय के शब्दों का उपयोग अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए नहीं करता पर उसने उनके अर्थों को सही तरीके से ग्रहण किया है और विचारों को अपने शब्दों में, अपने निजी अनुभवों के द्वारा व्यक्त किया है।
"मैं प्रॉपर्टी डीलर की बात मान लूँगी और अपना नाम बदल दूँगी। मैं यह इसलिए करूँगी क्योंकि मैं घर तलाशते-तलाशते थक चुकी हूँ। मुझे यह करना ठीक तो नहीं लग रहा है पर मुझे रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए।"	पहली नज़र में हमें लगेगा कि यह उत्तर तो गलत उत्तर है क्योंकि बच्ची प्रापर्टी डीलर के सुझाव से सहमत हो रही है। किंतु जब प्रश्न में हमने बच्चे की राय पूछी है तो वह राय दोनों तरफ जा सकती है- बशर्ते वह तर्कसंगत हो। बहरहाल यहाँ बच्ची का जवाब कि वह मज़बूरी में, न चाहते हुए भी नाम बदलेगी, यह दिखाता है कि उसने यह समझ लिया है कि अंसारी दंपति की गरिमा के आहत होने का क्या अर्थ है।

गलत जवाब

"हाँ मैं अपना नाम बदल दूँगा क्योंकि इससे मेरी गरिमा बढ़ेगी।"	यह प्रश्न अध्याय के 'मानवीय गरिमा का मूल्य' वाले हिस्से से पूछा गया है। छात्र, अंसारी दंपति द्वारा भोगे गए भेदभाव और गरिमा की धारणा के बीच सही अंतर्संबंध नहीं बना पाया है।

© NCERT not to be republished

मूल्यांकन के अन्य तरीके

हमें इस भ्रांति को मिटाना है कि परीक्षाएँ सीखने वालों का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा साधन हैं। इससे भी ज़्यादा महत्त्वपूर्ण यह है कि हमें ऊँची कक्षाओं में मूल्यांकन पद्धतियों में जो सुधाार हो रहे हैं, उनके असर का इंतजार करते रहने के बजाए यह देखना है कि माध्यमिक स्तर पर सीखने वालों के मूल्यांकन के लिए हम कौन-से वैकल्पिक तरीके प्रयोग कर सकते हैं। कई वैकल्पिक तरीके आजमा कर देखें जा सकते हैं जैसे-

1. **खुली-पुस्तक परीक्षा–**जैसा कि नाम से ही जाहिर है 'खुली-पुस्तक' एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देते समय किताब खोल कर देख सकते हैं। यह अभ्यास विद्यार्थियों को याद करने के भार के बिना उत्तर चुनने के मौके देती है। विद्यार्थी को कहा जाता है कि प्रश्न को ध्यान में रखकर वह पाठ को दो बार पढ़ें। पर इस प्रक्रिया के लिए नए प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं। खुली-पुस्तक अभ्यासों के लिए ऐसे प्रश्न सबसे अच्छे होते हैं जो विद्यार्थी को अनुमान लगाने, जानकारी के आधार पर समझ बनाने और प्रत्ययों की समझ बनाने के मौके देते हैं। इस बात पर ज़ोर दिया जाना चाहिए कि विद्यार्थी अपनी समझ के आधार पर अपने शब्दों में उत्तर दें।
2. **मौखिक विवेचन एवं समझ–**कक्षा में बातचीत करके बच्चे कितना कुछ अभिव्यक्त करते हैं। फिर भी हमारी शिक्षा प्रणाली अकसर इसको बेकार मानती है। अपने साथियों से सीखना और मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिए जाने की बहुत ज़रूरत है। मौखिक मूल्यांकन के अभ्यास ऐसे मौके देते हैं जिससे मौखिक अभिव्यक्ति और साथियों से सीखने को बढ़ावा मिलता है। इस किताब के पाठों में बीच-बीच में कई ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है। अध्यापक को यह प्रक्रिया कक्षा में ही शुरू करनी चाहिए।
3. **सामूहिक परियोजना कार्य–**सामूहिक परियोजना कार्य भी विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने का एक तरीका है। वॉलपेपर तैयार करने की परियोजना का उदाहरण इस किताब में दिया गया है। ऐसी परियोजनाओं को औचित्यपूर्ण उम्मीदें रखनी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी खुद क्या-क्या कर सकते हैं। परियोजना कक्षा में ही होनी चाहिए। उसे गृहकार्य में नहीं देना चाहिए। इस किताब में दिए गए कई प्रश्नों को परियोजना में बदला जा सकता है।

मूल्यांकन के ये तरीके इस बात पर ज़ोर देने में मदद करते हैं कि अधिगम या सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह कई तरीकों से होती है। मूल्यांकन इस तरह से होना चाहिए जिससे 'सीखने' को बढ़ावा मिले। मूल्यांकन को छंटनी-प्रक्रिया के रूप में नहीं देखना चाहिए।

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1]**[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य]** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2]**[राष्ट्र की एकता**

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

[1]भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

[2][(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।]

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 11 द्वारा (3.1.1977 से) अंत:स्थापित।

[2] संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा (1.4.2010 से) अंत:स्थापित।

© NCERT not to be republished